

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

आदेश
गई का**उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।**

आर0एम0आर0 वाद संख्या- 09/2019-20

नरसिंह प्रसाद साह

-बनाम-

राजेश कुमार साह

प्रार्थी :-

नरसिंह प्रसाद साह, पे0- स्व0 सत्यनारायण
साह, सा0- हबीबपुर वार्ड नं0- 06, थाना-
नगर साहेबगंज।

प्रतिवादी :-

राजेश कुमार साह, पिता- लखी प्रसाद साह,
सा0- हबीबपुर, थाना- साहेबगंज नगर,
जिला- साहेबगंज।**-: आदेश :-**

प्रस्तुत वाद आवेदक नरसिंह प्रसाद साह, विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0- 11/08-09, दिनांक- 22.08.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध संशोधित (Revision) हेतु दाखिल आवेदन के साथ कालक्षांत आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद को अंगीकृत किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज से नामांतरण अपील वाद सं0- 11/2008-2009 का मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी उपस्थित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज के पत्रांक- 06/डी0बी0, दिनांक- 22.01.2021 से मूल अभिलेख प्राप्त। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज ने ओम प्रकाश साह को बटवारानामा के आधार पर बिक्री करना सही माना।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी के छोटे भाई जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा नामांतरण किया गया, जिसे भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज उचित माना है। बंटनामा के तथ्यों को अपीलीय पदाधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। किस कारण आदेश खंडित आदेश है।

आगे उन्होंने यह भी अपने तर्क में कहा कि दिनांक- 30.05.1989 के पंचनामा के पैरा तीसरे एवं चौथे पैरा पर वर्णित तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश साह अपने बड़े भाई नरसिंह साह से छावनी करने के लिए 1000/- (एक हजार) रूपया किये ओम प्रकाश साह अपने घर के भाड़ा से 50/- (पचास) रूपये मासिक किस्त के रूप में बड़े भाई नरसिंह साह को तब तक देगा जबतक कि 1000/- (एक हजार) रूपये पूरा शोध नहीं हो जाए।

पारा चौथ में यह है कि दोनों भाई में अगर किसी भी पक्ष को बटवारा किये गये सम्पत्ति के किसी भी अंश या सारी सम्पत्ति का बेचना है तो सबसे पहले उसे अपने भाई को बेचना पड़ेगा, अगर कोई भी भाई नहीं ले सकेगा, तब किसी तीसरे बाहरी व्यक्ति को बेचेगा। उक्त पंचनामा को विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज नजर अंदाज करके उनके विरुद्ध आदेश पारित कर दिये जो अपास्त करने योग्य है।



03.06.2022

आदेश पर को
टिपनी के
हित। 3

आगे उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निबंधन केवाला चौहदी एवं मुटेशन में वर्णित चौहदी एक दूसरे से भिन्न है। पंचनामा में वर्णित चौहदी पूरब- विधानन्द, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- नरसिंह साह, दक्षिण- मधुआ। जबकि राजेश कुमार साह के निबंधन केवाला में उत्तर- रामकान्त मिश्र, दक्षिण- क्रेता नीज, पूरब- छः फीट गली, पश्चिम- रास्ता दर्शाया गया है। राजेश कुमार साह निबंधन केवाला में वर्णित दक्षिण- रास्ता के संबंध में उत्तरवादी (विपक्षी) के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही जमाबंदी नं०- 178 से संबंधित कोई कागजात दाखिल किये। इस प्रकार भूमि सुधार के आदेश अपास्त करने योग्य है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, साहेबगंज मुटेशन की अनियमितता तथा मुटेशन कानून पर कोई विचार नहीं किये गये। मुटेशन निम्न के तहत द बिहार टिनेन्ट्स होल्डिंग्स (मेनटेनेंस आफ रिकॉर्ड्स) एक्ट के चैटर III के अन्तर्गत मुटेशन कॉलम 14(3) रजिस्ट्रेशन एण्ड डिसपोजल ऑफ मुटेशन केश का उलंघन किया गया है। मुटेशन नियम के अनुसार किसी भी अंचल अधिकारी को आपत्ति के लिए निकाले गये सूचना में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो 30 दिनों के अन्दर नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। जबकि अंचल अधिकारी, साहेबगंज 15 दिनों के अंदर मनमाने ढंग से नामांतरण की कार्य पूरी कर लिये एवं उक्त नामांतरण आदेश को भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज को खंडित करनी चाहिए। बल्कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज ने पारित आदेश को यथावत रख दिये, जिसे अपास्त किया जाना चाहिए।

आवेदक को आगे यह भी तर्क है कि उत्तरवादी ने ओम प्रकाश साह से दो निबंधित केवाला निबंधित केवाला सं०- 3120 एवं 3121 दिनांक- 27.06.2007 को राजमहल निबंधन कार्यालय में निष्पादित करवाया गया। जबकि उक्त भूमि में दोनो भाई का हिस्सा है।

उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं०- 11/08-09 में दिनांक- 22.08.2019 को पारित आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में कहा गया कि विपक्षी ओम प्रकाश साह, पे०- स्व० सत्यनारायण साह से प्रश्नगत भूमि मौजा- मदनशाही टपुआ, जमाबंदी नं०- 496/886, रकवा- 00-01-12 धूर जमीन निबंधित केवाला सं०- 3120 एवं 3121 दिनांक- 27.06.2007 को राजमहल निबंधन कार्यालय में निबंधन करवाये। निबंधन के पश्चात् अंचल अधिकारी, साहेबगंज में आवेदन दाखिल कर अपने नाम से दाखिल खारिज करवाकर दखल कब्जा में है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी अपने तर्क में कहा गया कि प्रश्नगत भूमि विक्रेता ओम प्रकाश साह की हिस्से की भूमि है उक्त भूमि का बटवारा 30.05.1989 को पंचायत के समक्ष हुआ है, जिसे ओम प्रकाश साह द्वारा बिक्री किया गया है। दोनो भाईयों को अलग अलग सूची में अंकित भूमि प्राप्त हुआ।

अनुसूचि- (क)

नरसिंह साह के हिस्से में प्राप्त जमीन की विवरण:-

अंचल साहेबगंज मौजा- केलाबाड़ी, जमाबंदी नं०- 156, तौजी नं०- 599, दाग नं०- 194, 195 एवं 197 कुल रकवा- 01 कट्ठा 04 धूर, आगे एक कमरा खपड़ा बॉस और पीछे दो कमरा खपड़ा एवं एक पक्का का मकान होल्डिंग- 146 एवं 06 धूर परती जमीन। जिसकी चौहदी- उत्तर गली, दक्षिण- अनुग्रह केशरी, पूरब- झा जी, पश्चिम- रास्ता।

अनुसूचि- (ख)

ओम प्रकाश साह के हिस्से में प्राप्त जमीन की विवरण:-

ओम प्रकाश साह के हिस्से में प्राप्त जमीन की विवरणी:-

जिला- साहेबगंज असर्वेक्षित भूमि तौजी नं०- 407/401, जमाबंदी नं०- 178, मौजा- मदनशाही टपुआ, रकवा- 01 कठठा 12 धूर, जिसमें दो पक्के का बना हुआ कमरे एवं परती 1 जिसकी चौहदी, उत्तर- नरसिंह साह, दक्षिण- झा जी, पूरब- विधानन्द, पश्चिम- रास्ता।

आगे विपक्षी का यह भी कहना है कि पंचनामा के आधार पर बटवारा में प्राप्त भूमि को ओमप्रकाश साह ने राजेश कुमार साह के पास बिक्री किया गया है। जो सही है उक्त बटवारानामा में दोनो भाई के हस्ताक्षर के साथ वार्ड पार्षद का भी हस्ताक्षर है। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज के पारित आदेश सही है।

आगे विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विक्रेता ओम प्रकाश साह ने स्वयं राजमहल निबंधन कार्यालय में जाकर निबंधन राजेश कुमार साह के पास उचित मूल्य लेकर निबंधित केवाला कर दिये तो नामांरण किस प्रकार से गलत है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज द्वारा दाखिल कागजातों को अवलोकनोपरांत न्यायपूर्ण आदेश पारित किये। जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उनके द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं०- 11/08-09 में दिनांक- 22.08.2019 को पारित आदेश यथावत रखेन हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि का बटवारा पंचनामा के आधार दिनांक- 30.05.1989 को हुई थी। विक्रेता ओम प्रकाश साह अपने हिस्से में प्राप्त पैतृक भूमि मौजा- मदनसाही टपुआ जमाबंदी नं०- 496/886, रकवा- 00-01-12 धूर भूमि को राजेश कुमार साह, पिता- लखी साह के पास विक्रय किये। जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की गई एवं उसी को आधार मानकर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं०- 399/07-08 दिनांक- 24.12.2007 को पारित आदेश को यथावत रखा गया है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं०- 11/2008-2009 दिनांक- 22.08.2019 को पारित आदेश यथावत (Up-held) रखा जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, साहेबगंज को भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संधोधित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

उपायुक्त,
साहेबगंज।